कार्यवृत्त

सोमवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 12 जून, 2017)

खण्ड–48
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने तराई बीज विकास निगम में हुए घोटाले के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी अपनी सूचना को प्राथमिकता पर लिए जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दे उसके पश्चात उक्त सूचना पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

विधान सभा सचिवालय के कार्मिक श्री कुन्दन सिंह कठायत के असामयिक निधन पर सदन में शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 29 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वे 7 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नांकित स्वीकृत सूचनायें उनके सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीः–

1.	श्री बंशीधर भगत **(पढ़ी हुई मानी गई)**	उत्तराखण्ड राज्य के तराई तथा भावर क्षेत्र के नलकूपों में वोल्टेज स्टेबलाईजर लगाये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री उमेश शर्मा काऊ **(पढ़ी हुई मानी गई)**	प्रदेश में विगत चार वर्षो में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत दूरसंचार कम्पनी, रोड कटिंग, जल निगम, ए0डी0बी0 आदि से डिपोजिट मद में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष सड़क निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय एवं अवशेष राशियों का विभागवार विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री सौरभ बहुगुणा **(पढ़ी हुई मानी गई)**	विधान सभा क्षेत्र सितारगंज में शक्तिफार्म के रूदपुर गांव से सिडकुल तक सूखी नदी के ऊपर पुल की डी0पी0आर0 हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने पर भी डी0पी0आर0 शासन में न पहुचने के सम्बन्ध में।
4.	श्री फुरकान अहमद **(पढ़ी हुई मानी गई)**	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् के प्रमाण–पत्रों को अन्य बोर्डो के समकक्ष मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
5.	काजी मौ0 निजामुद्दीन **(पढ़ी हुई मानी गई)**	जनपद हरिद्वार के कांवड़ मार्ग का चौड़ीकरण कर उसके किनारे मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
6.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर **(पढ़ी हुई मानी गई)**	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के नगर पंचायत सेलाकुई में ट्रॉमा सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी **(पढ़ी हुई मानी गई)**	जनपद पौड़ी के नीलकंठ मन्दिर के मणिकूट पर्वत श्रृंखलाओं से बहने वाली नदियां मधुमती और

पंकजा में व्याप्त प्रदूषण और अतिक्रमण से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत सिंचाई नहरों चमियाला, कोठियाड़ा, बासर सिल्यारा, मल्याकोट नैलचामी, चामा, श्रीकोटगांव, महरगढ़, भिलंग आदि क्षतिग्रस्त नहरों के मरम्मत के सम्बन्ध में'' श्री आनन्द सिंह बिष्ट, ग्राम–पुण्डोली नैलचामी पो0–मल्ला, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य विधान सभा द्वारा ''टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत नवसृजित तहसील बालगंगा में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में'' श्री धूमसिंह जखेड़ी ग्राम–धनूसाणी पो० कफालगांव टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य विधान सभा द्वारा ''उत्तराखड पेयजल निगम एवं जल संस्थान को केन्द्र पोषित योजना एन०आर०डी०डब्लू०पी० के तहत धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल ग्राम–गंवाणा मल्ला पो०–घुतू भिलंग टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध से प्रभावित ग्राम पिलखी, बौंर, पिपोला, असेना, देवल, चाकरूसेरा आदि के विस्थापन के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल ग्राम–गंवाणा मल्ला पो०–घुतू भिलंग टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विकासखंड भिलंगना का पुर्नगठन कर पृथक बालगंगा विकासखण्ड सृजन के सम्बन्ध में'' श्री धूमसिंह जखेड़ी, ग्राम–धनसाणी टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

पेयजल मंत्री ने उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी ।

पेयजल मंत्री ने उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी 09 जून, 2017 की बैठक में दिनांक 12 जून, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्न रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

जून, 2017

12 (सोमवार) विधायी कार्यः–

(1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 का विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(2) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 का विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

सामान्य कार्यः–

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित नियम 105 की सूचना का प्रस्तुतीकरणः–

''गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।''

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित नियम 54 की सूचना का

प्रस्तुतीकरणः—

''प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय।''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य—मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने अपनी नियम—310 की सूचना को लिये जाने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सूचना का विषय अत्यन्त पुराना है तथा नियमानुसार नियम—310 की परिधि में नहीं आता। इस पर विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा उक्त सूचना को लिये जाने पर बल दिया जाने लगा। श्री मुन्ना सिंह चौहान ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उक्त सूचना नियमावली में वर्णित आवश्यकताओं को पूर्ण नही करती है। अतः अस्वीकार करने योग्य है। इस पर काजी निजामुद्दीन ने व्यवस्था के प्रश्न का उल्लेख करते हुए कहा कि आमतौर पर बजट पर चर्चा के दौरान कार्य स्थगन प्रस्ताव नही आते हैं, पर परिपाटी के अनुसार महत्वपूर्ण विषय ग्राह्यता पर सुने जाते रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान नियम—310 तथा नियम—58 की सूचना आती है, पर चर्चा नहीं होती है। काजी निजामुद्दीन ने पुनः कहा कि विषय भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। अतः सुन लिया जाना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष ने भी उक्त सूचना को लिये जाने पर बल दिया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि उक्त सूचना का विषय तात्कालिक न होने व नियम—310 की परिधि में न आने के कारण वे इसे नियम—58 में परिवर्तित करते हुए उसके अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया नियम—58 के अन्तर्गत आज 04 सूचनायें प्राप्त हुई, वे सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

राज्य के पूर्व अर्धसैनिक बलों के विभिन्न मांगों व समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम—58 की सूचना पर बोलते हुए मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत स्थित अस्पताल एवं 108 सेवा की लापरवाही के प्रति लोगों में भारी असंतोष के सम्बन्ध में नियम—58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर स्थित खराब पड़े ट्यूबवैल की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम—58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। सिचाई मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य में यूरिया खाद की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में नियम—58 की सूचना पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किये। कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि श्री करन माहरा द्वारा जो विषय नियम—310 परिवर्तित नियम—58 में लाया गया है, वह विधि द्वारा गठित एक आयोग की संस्तुति के सम्बन्ध में है, इस पर चर्चा करने पर आयोग की विधि मान्यता पर प्रश्न चिन्ह होगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि क्योंकि इस पर विनिश्चय आ चुका है। अतः वे इस सूचना को नियम—58 पर ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

तराई बीज विकास निगम में करोड़ों रूपये के घोटालों के सम्बन्ध में भाटी जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम—58 में परिवर्तित सूचना पर मा0 सदस्य श्री करन माहरा एवं श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 45 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि यह हर्ष का विषय है कि आज दर्शक दीर्घा में सुश्री नमामि बंसल उपस्थित हैं। वह इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा में 17वे स्थान पर उत्तराखण्ड से चयनित हुई हैं, जो इस राज्य के लिये गौरव की बात है। वह इस राज्य की टॉपर भी है। उनका सदन की कार्यवाही देखने के लिये उपस्थित होना संसदीय परम्परा में उनकी अभिरूचि का द्योतक है। यह सदन उनका हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता है और उनको बधाई देता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा मा0 सदस्य श्री मनोज रावत के भाषण से प्रारम्भ हुई। चर्चा में निम्न मा0 सदस्यों ने भी भाग लिया–

1. श्री दलीप सिंह रावत
2. श्री बिशन सिंह चुफाल
3. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
4. श्री गणेश जोशी
5. श्री चन्दन राम दास
6. श्री राजकुमार
7. श्री धन सिंह नेगी

04: 00 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार
9. श्रीमती ममता राकेश
10. श्री केदार सिंह रावत
11. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
12. श्री आदेश चौहान

काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल से सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो रही है। नियमतः अनुदान सम्बन्धी साहित्य 24 घण्टे पूर्व उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु यह साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कल प्रथमतः सामान्य चर्चा होगी, उसके पश्चात् ही अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। मा0 सदस्यों को कल शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त समय रहते सारा साहित्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

05: 00 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

13. श्री विनोद कण्डारी

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 जून, 2017 की बैठक में दिनांक 13 जून, 2017 से 15 जून, 2017 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्न रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

<u>दिनांक 13 जून, 2017 (मंगलवार)</u>

<u>अनुदानवार मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान</u>

अनुदान संख्या	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	08	आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
अनुदान संख्या	18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
अनुदान संख्या	26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
अनुदान संख्या	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

<u>दिनांक 14 जून, 2017 (बुधवार)</u>

अनुदान संख्या	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
अनुदान संख्या	24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
अनुदान संख्या	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
अनुदान संख्या	16	श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

<u>दिनांक 15 जून, 2017 (गुरूवार)</u>

अनुदान संख्या	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	03	मंत्रिपरिषद् की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान,	––

	पर मांग, चर्चा और मतदान।	
09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	——
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	——
15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
21	ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	——
22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	

1— उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

2— उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 का विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम—105 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

''गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।''

चर्चा जारी रहेगी।

नियम—54 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया:—

''प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय।''

चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम— 53 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से—

मा0 सदस्य श्री सुरेश राठौर की सूचना जो, विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में स्वजल विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं के मरम्मत करने व पुनः चालू करने के सम्बन्ध में है, को नियम—53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये एवं

मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला की सूचना जो, विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को भूमिहीन प्रमाण—पत्र जारी करने के सम्बन्ध में है, को नियम—53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे है।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

राज्य के विभिन्न नगरों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे कब्जाधारकों को उसके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 जून, 2017 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरिद्वार में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 जून, 2017 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

05 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।